Title: Request to grant land rights to the tribals by amending the Forest Act, 1980 and to check the illegal tree felling in Madhya Pradesh.

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (बालाघाट) : महोदय, मध्य प्रदेश में जंगलों की कटाई भयानक तरीके से हो रही है। इस संदर्भ में उच्चतम न्यायालय ने मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ जनहित याचिका में निर्णय देते हुए एक स्ट्रिक्चर पास किया है। मध्य प्रदेश में राजनेता, वहां के अधिकारी और माफिया मिल कर जंगलों की कटाई कर रहे हैं, इससे गंभीर स्थिति पैदा हो गई है। जहां एक-दो और तीन दशकों से आदिवासी निवास कर रहे हैं, वे खेती के लिए जो जमीन उपयोग में लाए हैं उनके उन्हें पट्टे नहीं मिल रहै हैं। दूसरी तरफ घने जंगलों की कटाई सरकार में बैठे राजनेता, माफिया और अधिकारी मिल कर करवा रहे हं। अभी एक रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है, जिसमें कहा गया था कि अगर यह कटाई जारी रही तो मध्य प्रदेश मरुस्थल बन जाएगा।

महोदय, मेरा आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से आग्रह है कि वह तत्काल अविलम्ब हस्तक्षेप करे। एक तरफ वन अधिनियम 1980 में संशोधन कर आदिवासियों को पट्टा प्रदान करे, वही दूसरी और राज्य सरकार द्वारा की गई अवैध कटाई को रोकने के लिए कारगर कदम उठाए ताकि मध्य प्रदेश को मरुस्थल होने से बचाया जा सके।